संचिका सं0–10/रेफ0–06–02/2019.........1137(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 20-02-2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के परिसर में L-III स्तरीय ट्रामा सेन्टर स्थापित करते हुए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण के साथ मशीन उपकरण एवं अन्य कार्य हेतु कुल रुपये 2,67,50,000/–(दो करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नौ स्थानों पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किया जा रहा है, जिसका भवन निर्माण कार्य केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि से बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा L-III स्तरीय ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के साथ मशीन उपकरण एवं अन्य कार्य हेतु कुल रुपये 2,67,50,000/–(दो करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार रुपये) का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें 2,00,00,000/–रुपये राशि का प्रावधान मशीन उपकरण के लिए किया गया है। यह ट्रामा सेन्टर मोकामा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के परिसर में स्थापित किया जाना है। तदक्रम में प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल रुपये 2,67,50,000/–(दो करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) निगम द्वारा निविदा की शर्त्तो में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी का चयन में सुस्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे।

(ii) कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा यह कार्य बिहार वित्त नियमावली 2005, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों तथा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार समय–समय पर की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। कार्य निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ संपन्न सम्पन्न कराने की पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना की होगी।

(vi) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष– 0101–रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/रेफ0–06–02/2019 के पृष्ठ–2/टि0 में प्राप्त है ।

(11) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 1137(10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 20-02-2019

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, मोकामा (पटना)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।